

nt>

15.35 hrs.

STATE EMBLEM OF INDIA (PROHIBITION OF IMPROPER USE)

BILL*, 2004

Title: Introduction of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Bill, 2004.

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Item No. 17. Shri Manikrao Hodlya Gavit.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : सभापति महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिोध करने और उससे संबंधित या उसके आनुांगिक वियायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the improper use of State Emblem of India for professional and commercial purposes and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

श्री माणिकराव होडल्या गावित : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
